Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बीकानेर में आईजीएनपी के सहायक अभियंता को 8 हजार रूपये एवं कनिष्ठ सहायक को 15 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *17 दिसम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की बीकानेर इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये आज गुरूवार को सहायक अभियन्ता प्रथम, बीसलपुर ब्रांच डिविजन प्रथम, आईजीएनपी बीकानेर दिनेश कुमार आर्य को 8 हजार रूपये व कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियंता 16वां डिविजन, आईजीएनपी बीकानेर पवन कुमार जाखड़ को 15 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बीकानेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरी फर्म के द्वारा कार्यालय मुख्य अभियंता परिसर में पार्क के निर्माण कार्य के संबंध में फर्म को किये गये भुगतान राशि में से आरोपी सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ सहायक द्वारा बतौर कमीशन रिश्वत राशि 8 हजार एवं 15 हजार रूपये की मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर **एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन.** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन करवाया जाकर आज बीकानेर में एसीबी के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रजनीश पूनियाँ के नेतृत्व** में **उप अधीक्षक पुलिस श्री भूपेन्द्र कुमार सोनी** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये **दिनेश कुमार आर्य** पुत्र श्री रामसुमिरण, नि0 11/465, मुक्ताप्रसाद नगर बीकानेर **हाल सहायक अभियंता प्रथम, बीसलपुर ब्रांच डिविजन प्रथम आईजीएनपी बीकानेर को 8 हजार की रिश्वत राशि** लेते एवं **पवन कुमार जाखड़** पुत्र श्री बलदेवराम नि0 गांव सिंघाना, तह. डीडवाला जिला नागौर **हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिशाषी अभियंता 16वां डिविजन आईजीएनपी, बीकानेर को 15 हजार रूपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों पर एसीबी टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वत लेना व देना अपराध की श्रेणी में आता है। **रिश्वत मांगने की शिकायत देने वाले की जानकारी गोपनीय रखी जाती है तथा कार्यवाही के पश्चात् उनके वैध कार्य में एसीबी द्वारा मदद भी राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप की जाती है।**

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064*** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834*** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।